



1-षडयंत्र के तहत, धोखाधड़ी करके न्यासभंग करने का आरोपी गिरफ्तार थाना सिविल लाईन्स:-

अवगत कराना है कि दिनांक 24.11.2022 को महेन्द्र सिंह पुत्र श्री बालेश्वर दयाल वर्तमान नियुक्ति शाखा प्रबन्धक कैनरा बैंक सिविल लाईन्स मुरादाबाद ने अभियुक्त द्वारा बैंक ग्राहकों के साथ मिलकर सुनियोजित षडयंत्र व सोची समझी साजिश के तहत बैंक के साथ कपट, जालसाजी, न्यासभंग कर स्वर्ण खातों में बंधक स्वर्ण की गलत जाँच कर आर्थिक लाभ प्राप्त करने के सम्बन्ध में थाना सिविल लाईन्स पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना सिविल लाईन्स पर मु0अ0सं0 -986/2022 धारा-420/406/120बी भादवि पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 25.11.2022 को उ0नि0 श्री विनोद कुमार थाना सिविल लाईन्स द्वारा हमराही पुलिस बल की मदद से अभियुक्त रोहित शर्मा पुत्र स्व0 पंकज शर्मा निवासी उदय नगर कालोनी पावर हाउस स्टेशन रोड थाना बिलारी जिला मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया।

2- 02 सट्टेबाज गिरफ्तार थाना कोतवाली नगर:-

अवगत कराना है कि आज दिनांक 25.11.2022 को उ0नि0 श्री अर्जुन सिंह थाना कोतवाली द्वारा हमराही पुलिस बल की मदद से अभियुक्तगण 1-धर्मेश कुमार उर्फ उस्ताद पुत्र श्री गणेशी लाल निवासी बाला जी सराय कंजरी सराय थाना कोतवाली नगर जनपद मुरादाबाद 2- सोनू धवन पुत्र श्री अशोक कुमार धवन निवासी ठठेरा मोहल्ला सागर सराय थाना कोतवाली नगर जनपद मुरादाबाद को सट्टा करते हुये गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से क्रमशः 3260 रुपये नकद, 01 डायरी, 01 पेन के व 12,450/- रुपये नकद, 01 डायरी, 01 पेन बरामद किये गये। इस सम्बन्ध में उपरोक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 क्रमशः 184,185/2022 धारा – 13 जुआ अधिनियम (सट्टा) पंजीकृत किये गये।

3-हत्या कारित करने का आरोपी गिरफ्तार थाना कांठ:-

अवगत कराना है कि दिनांक 26.08.2022 को वादी जतिन कुमार पुत्र रामनाथ सिंह निवासी ग्राम महमूदपुर माफी थाना कांठ जनपद मुरादाबाद ने अभियुक्त द्वारा वादी के घर में घुसकर वादी की पत्नी पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा देने, उपचार के दौरान पत्नी की मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में थाना कांठ पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना कांठ पर मु0अ0सं0 325/2022 धारा 452/326 भादवि पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही में उपरोक्त अभियोग में धारा 302 भादवि की बढोत्तरी की गयी। उक्त के क्रम में आज दिनांक 25.11.2022 को श्री रामप्रसाद शर्मा प्रभारी निरीक्षक थाना कांठ द्वारा हमराही पुलिस बल की मदद से अभियुक्त अजीत पुत्र राजेश निवासी ग्राम महमूदपुर माफी थाना कांठ जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया।

4-थाना मैनाठेर पुलिस ने नकबजनी से सम्बन्धित 25 हजार रुपये के इनामी अपराधी को किया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि दिनांक 06.11.2022 को वादी मौ0 शाहिद पुत्र कल्लू निवासी महमूदपुर माफी थाना मैनाठेर जिला मुरादाबाद ने अज्ञात चोरो द्वारा नकबजनी कर वादी के घर से रुपये व अन्य सामान चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना मैनाठेर पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना मैनाठेर पर मु0अ0सं0 325/2022 धारा 457/380 भादवि बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध नियंत्रण, अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बिलारी के नेतृत्व एवं पर्यवेक्षण में थाना मैनाठेर पुलिस द्वारा आज दिनांक 25.11.2022 को नकबजनी की घटना से सम्बन्धित प्रकाश में आये अभियुक्त *इस्तेकार पुत्र बुद्धा निवासी हरथला थाना असमौली जनपद सम्भल* को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से चोरी किये गये एक जोड़ी कानो की बाली पीली धातु व एक अवैध तमंचा .32 बोर, 02 कारतूस .32 बोर एवं अभियुक्त की निशांदेही पर थाना हजरतनगर गढी जनपद सम्भल के मु0अ0सं0 231/2022 धारा 457/380/394 भा0द0वि से सम्बन्धित 2,000/- रुपये बरामद किये गये। अवैध तमंचा, कारतूस की बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना मैनाठेर पर मु0अ0सं0 343/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया एवं उपरोक्त अभियोग में धारा 411 भादवि की बढोत्तरी की गई।

पुलिस अधीक्षक जनपद सम्भल द्वारा दिनांक 04.11.2022 को गैंगस्टर इस्तेकार पर 25,000/- रुपये का इनाम घोषित किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

इस्तेकार पुत्र बुद्धा निवासी हरथला थाना असमौली जनपद सम्भल।

बरामदगी:-

- 1-2000/- रुपये सम्बन्धित मु0अ0सं0 231/2022 धारा 457/380/394/411 भा0द0वि0 थाना ह0न0गढी जनपद सम्भल।
- 2-एक जोड़ी कानों की बाली पीली धातु सम्बन्धित मु0अ0सं0 325/2022 धारा 457/380/411 भा0द0वि0 थाना मैनाठेर मुरादाबाद।
- 3-एक अवैध तमंचा .32 बोर व 02 अदद जिन्दा कार0 .32 बोर।

आपराधिक इतिहास:-

- 1.मु0अ0सं0 343/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद।
- 2.मु0अ0सं0 325/2022 धारा 457/380/411 भा0द0वि0 थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद।
- 3.मु0अ0सं0 231/2022 धारा 457/380/394/411 भा0द0वि0 थाना ह0न0गढी जनपद सम्भल।
- 4.मु0अ0सं0 189/2022 धारा 380/411 भा0द0वि0 थाना डिडौली जनपद अमरोहा।
- 5.मु0अ0सं0 151/2022 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना असमौली जनपद सम्भल।
- 6.मु0अ0सं0 294/2021 धारा 414 भा0द0वि0 थाना असमौली जनपद सम्भल।
- 7.मु0अ0सं0 292/2021 धारा 307 भा0द0वि0 थाना असमौली जनपद सम्भल
- 8.मु0अ0सं0 445/2018 धारा 380 भा0द0वि0 थाना असमौली जनपद सम्भल
- 9.मु0अ0सं0 398/2017 धारा 457/380/411भा0द0वि0 थाना असमौली जनपद सम्भल
- 10.मु0अ0सं0 588/2017 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना असमौली जनपद सम्भल।
- 11.मु0अ0सं0 93/2015 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना पाकबाडा जनपद मुरादाबाद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ0नि0 श्री रमेशचन्द्र यादव थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद।
- 2-उ0नि0 श्री मोहित कुमार थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद।
- 3-का0 राजकुमार, का0 गौरव कुमार, का0 आकाश तोमर थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद।